सहारा कवच

अस्थायी (टर्म) बीमा योजना (लाभ रहित)

(UIN : 127N009V01)

(विश्व के विशालतम् परिवार में स्वागत है)

सहारा इण्डिया परिवार की सफलता का इतिहास 1978 से प्रारम्भ हुआ। साधारण पूंजी से शुरूआत करके कंपनी ने आज भारत में विशाल साम्राज्य फैला रखा है। आज परिवार एक बहु आयामी व्यवसायिक संस्था बन कर वित्तीय सेवाऐं इन्फ्रास्ट्रक्चर व हाउसिंग, मीडिया व एंटरटेनमेंट, सूचना प्राधौगिकी, अस्पताल, कन्ज़्यूमर प्रोडक्ट्स, निमार्ण एवं सर्विसेज़ व ट्रेडिंग आदि में कार्यरत हैं।

कंपनी-

सहारा इण्डिया परिवार जीवन बीमा क्षेत्र में 30 अक्टूबर, 2004 से कार्यरत है तथा "सहारा इण्डिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड निजी क्षेत्र में प्रथम पूर्णतः भारतीय जीवन बीमा कंपनी है। कंपनी का मुख्य उद्‌देश्य सम्पूर्ण भारत में समाज के सभी वर्ग विशेषतः ग्रामीण, शोषित एवं आर्थिक रूप से कमजोर, जिन्हें जीवन बीमा द्वारा सुरक्षा की नितांत आवश्यकता है, उनको बीमा द्वारा सुरक्षा प्रदान करना है।

योजना-

यह योजना उनके लिए, जिनकी सीमित आय है तथा अपने परिवार को अनिश्चतताओं से सुरक्षा दिलाना चाहते हैं, आदर्श हल है। कम प्रीमियम भुगतान करके अधिक बीमाधन प्राप्त किया जा सकता है। असामयिक मृत्यु पर केवल बीमाधन ही देय है।

योजना विवरण :-

प्रवेश के समय न्यूनतम आयु	18 वर्ष (पूर्ण)
प्रवेश के समय अधिकतम आयु	50 वर्ष (निकटतम जन्म तिथि)
न्यूनतम बीमाधन	5,00,000 (तदोपरान्त 50,000 के गुणांक में)
अधिकतम बीमाधन	असीमित (बीमाकंन-नुसार)
न्यूनतम बीमा अवधि	15 वर्ष
अधिकतम बीमा अवधि	20 वर्ष
प्रीमियम भुगतान अवधि	पालिसी अवधि अनुसार
पूर्णावधि आयु	65 वर्ष

पालिसी के क्या लाभ हैं?

पालिसी की अवधि में मृत्यु होने पर बीमाधन देय है यदि पालिसी चालू हालत में है।

पूर्णावधि पर कोई धनराशि देय नहीं है

पालिसी में क्या प्रीमियम भुगतान विधि है?

वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही या मासिक (प्रत्यक्ष डेबिट तथा ग्रुप बिलिंग मात्र)

क्या दुर्घटना हित लाभ अथवा गम्भीर रोग राइडर उपलब्ध है?

इस योजना में उपलब्ध नहीं है।

क्या छूट उपलब्ध है?

वार्षिक एवं अर्धवार्षिक प्रीमियम भुगतान विधि पर क्रमशः 3 तथा 1.5 प्रतिशत छूट तालिका दर पर उपलब्ध है।

कालातीत (Lapse) न होने के लिए अनुग्रह दिवस प्रावधानः- वार्षिक, अर्धवार्षिक एवं तिमाही भुगतान विधि के लिए न्यूनतम 30 अनुग्रह दिन (चाहे वर्ष का कोई भी माह हो) एवं मासिक भुगतान विधि के लिए 15 दिन का प्रावधान है यदि अनुग्रह दिवस अवधि में, बीमित व्यक्ति की मृत्यु होती है एवं उसने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है तो बीमाधन से अदत्त प्रीमियमें, जो आगामी पालिसी वर्षगांठ तक देय है, काट कर किया जायेगा।

क्या पालिसी का अभ्यपर्ण (Surrender) किया जा सकता है?

पालिसी में कोई अभ्यपर्ण मूल्य नहीं है।

प्रीमियम न भुगतान करने की अवस्था में क्या होता है?

अनुग्रह अवधि के बाद पॉलिसी कालातीत हो जायेगी। पॉलिसी का पुनर्चलन प्रथम अदत्त प्रीमियम से पाँच वर्ष के अवधि में कराया जा सकता है।

क्या ऋण उपलब्ध है?

कोई ऋण उपलब्ध नहीं है।

कर-लाभ

इस पालिसी में भुगतान की प्रीमियम में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के अन्तर्गत आयकर छूट के लिए योग्य है। भविष्य में यह छूट आयकर अधिनियम, 1961 के लिए जो लागू होंगे तदानुसार प्रभावी होगी।

प्रीमियम :- हम बीमाधन 5 लाख के लिए भिन्न-भिन्न आयु एवं अवधि के लिए वार्षिक भुगतना विधि में प्रीमियम निम्न तालिका में दर्शा रहे हैं।

आयु	अवधि					
	15	16	17	18	19	20
20	1407	1407	1407	1407	1407	1407
25	1504	1504	1504	1504	1552	1552
30	1649	1698	1698	1746	1746	1795
35	2134	2183	2231	2280	2328	2425
40	3056	3153	3250	3347	3395	3492
45	4608	4705	4899	5044	5190	5335

योजना केवल मृत्यु लाभ वहन करती है तथा बीमाधन मृत्यु पर पॉलिसी चालू होने की अवस्था में ही अवधि के अन्तर्गत देय है।

लाभ उदाहरण :- 35 वर्ष की आयु पर 20 वर्ष अवधि ₹ 500000/- बीमाधन के लिए ₹ 2425/- प्रीमियम देय है। हम निम्न तालिका में मृत्यु तथा परिपक्वता पर देय लाभ दर्शा रहे हैं।

वर्ष	आयु वार्षिक	प्रीमियम ₹	मृत्यु लाभ गाइरयन्टीड ₹
1	35	2425	5,00,000
2	36	2425	5,00,000
3	37	2425	5,00,000
4	38	2425	5,00,000
5	39	2425	5,00,000
6	40	2425	5,00,000
7	41	2425	5,00,000
8	42	2425	5,00,000
9	43	2425	5,00,000
10	44	2425	5,00,000
11	45	2425	5,00,000
12	46	2425	5,00,000
13	47	2425	5,00,000
14	48	2425	5,00,000
15	49	2425	5,00,000
16	50	2425	5,00,000
17	51	2425	5,00,000
18	52	2425	5,00,000
19	53	2425	5,00,000
20	54	2425	5,00,000
		6% p.a.	10% p.a.
परिपक्वता लाभ	गाइरन्टीड	0	0
	नॉन-गाइरन्टीड	0	0
	योग	0	0

वैधानिक चेतावनी :

कुछ लाभ गारण्टीड हैं एवं कुछ लाभ वापसी कंपनी के भविष्य के कार्य सम्पादन पर निर्भर करते हैं। यदि आपकी पालिसी गारण्टीड लाभ वापसी दर्शाती है तो उदाहरण तालिका में स्पष्ट रूप से गारण्टीड दर्शाया जायेगा। यदि आपकी पालिसी बिना गारंटी के लाभ वापसी दर्शाती है तो उदाहरण तालिका में कंपनी के अनुमानित भविष्य निवेश पर दो भिन्न ब्याजदर पर गणना करके दिखायेगी। बीमाधारक को प्राप्त होने वाला यह अनुमानित लाभ वापसी गारण्टीड नहीं है। पालिसी में लाभ वापसी अनेक कारणों पर निर्भर करती है। यह बीमा करने वाले (Insurer) की निपुणता एवं दक्षता पर निर्भर करता है कि वे कोष को किस प्रकार निवेश करते हैं जिससे अधिकतम लाभ हो। अतः लाभ वापसी की कोई निश्चित सीमा नहीं है।

अपवाद

आत्म-हत्या उपबन्ध :

जोखिम प्रारम्भ होने की तिथि को या उसके बाद किन्तु इस पालिसी की तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व यदि बीमित व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है (चाहे मस्तिष्क की स्वस्थ अवस्था में या तत्समय अस्वस्थ अवस्था में) तो यह पालिसी रद्द हो जायेगी (पालिसी का अभ्यर्पण मूल्य छोड़कर) और कंपनी इस पालिसी के अंतर्गत कोई भी दावा स्वीकार नहीं करेगी, किन्तु इस पालिसी में बीमित व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के यर्थाथ आर्थिक हित सुरक्षित रहेंगे जो उसने किसी मूल्यवान प्रतिदान के द्वारा प्राप्त कर लिये थे और जिसकी लिखित सूचना बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने के कम से कम एक माह पूर्व उस कार्यालय को प्रेषित कर दी गई हो, जिसमें इस पालिसी के अंतर्गत अन्तिम प्रीमियम चुकाई गई थी।

वैधानिक-चेतावनी

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की **धारा 41** में जो विवरण है उसका उद्धरण बीमा उत्पाद के प्रत्येक प्रस्ताव में होना आवश्यक है- कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी व्यक्ति को नई पालिसी लेने, नवीनीकरण करने अथवा चलाने, जिसमें किसी भी प्रकार भारत में जीवन अथवा सम्पत्ति के जोखिम का सम्बन्ध है, कोई प्रलोभन, पालिसी की प्रीमियम में छूट अथवा देय कमीशन का पूर्ण अथवा आंशिक भाग प्रदान नहीं करेगा एवं न ही कोई व्यक्ति इस छूट, प्रलोभन को स्वीकार करेगा, सिवाय ऐसी छूट जो बीमा कर्ता के प्रकाशित विवरण पुस्तिका एवं तालिका में वर्णित है।

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त उपधारा (1) का उलंघन करता है, वह आर्थिक दण्ड का उत्तरदायी होगा एवं आर्थिक दण्ड रू0 500 तक हो सकता है।

इन्श्योरेन्स एक्ट, 1938 की धारा 45 का संक्षिप्त विवरणः

कोई भी जीवन बीमा पालिसी उसकी आरम्भ की तिथि से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद बीमाकर्ता द्वारा उस समय तक इस आधार पर निरस्त नहीं की जायेगी कि बीमा के लिये दिये प्रस्ताव-पत्र में दिया गया विवरण या किसी डाक्टरी जाँच की रिपोर्ट में या किसी संदर्भी या पालिसीधारक के मित्र द्वारा पालिसी जारी करने हेतु दिये किसी प्रलेख में कुछ भी गलत या झूठ कहा गया है, जब तक बीमाकर्ता यह न सिद्ध कर दे कि विवरण एक महत्वपूर्ण मामले से सम्बन्धित था या उसने तथ्यों को छुपाया जिसे बताना आवश्यक था और उस समय बीमाधारक को यह पता था कि दिया गया विवरण झूठा या उसने तथ्यों को छुपाया जिन्हें बताना आवश्यक था।

फ्री लुक अवधि-

बीमार्थी को यह विकल्प प्राप्त है कि पालिसी बाण्ड के प्राप्त तिथि से 15 दिन के अन्दर यदि वह पालिसी की शर्तों तथा अहर्ताओं में कोई परिवर्तन अवलोकन करता है अथवा गलत पाता है तो अस्वीकार/असहमति के कारणों का वर्णन करते हुए पालिसी बाण्ड वापस कर सकता है। इस स्थिति में बीमार्थी प्रीमियम राशि में से, निरस्तीकरण तिथि पर, अनुपातिक जोखिम वहन प्रीमियम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क में जो व्यय हुए हैं, उनको घटाकर, प्रीमियम वापस पाने का अधिकारी है।

सम्पर्क पते एवं दूरभाष संख्या-

हमारा निःशुल्क टाल नं.-1800-180-9000 (भा.सं.नि.लि./म.टे.नि.लि.)

लोकल कारपोरट कार्यालय के नाम तथा उनके दूरभाष संख्या निम्नलिखित हैं-

आगरा - 9411876485, अहमदाबाद - 9998020310, अजमेर - 9829018573, इलाहाबाद - 9839750651, बलिया - 9936571895, बैंगलूरु - 9845234738, बस्ती - 9670444427, बरेली - 9412485488, बडौदा - 9998020301, बोकारो - 9386896841, भोपाल - 9302115594, भागलपुर - 9386741020 भुवनेश्वर - 9861048534, चंडीगढ - 9216322898, चेन्नई - 9940098809, देहरादून - 9368228050, दिल्ली - 9711311363, दरभंगा - 9386835733, देवरिया - 9415213748, फैज़ाबाद - 9935169130, फरीदाबाद - 9899805972, गोरखपुर - 9336410556, गुवाहाटी - 9435549347, हज़ारीबाग - 9431102765, हावड़ा - 9903116913, हैदराबाद - 9885279596, इंदौर - 9302780283, जबलपुर - 9303327343, जयपुर - 9414079454, जमशेदपुर - 9431133892, जोधपुर - 9829687827, कानपुर - 9415075151, कोलकाता - 9831692615, कोटा - 9460981763, लखनऊ - 9335226465, लुधियाना - 9988373652, मुम्बई - 9324702769, मुज़फ्फरपुर - 9431238376, नालन्दा - 9431023510, पटना - 9334112902, रायपुर - 9893650799, राँची - 9955328893, सिलीगुड़ी - 9233472893, सिवान - 9334417334, समस्तीपुर - 9430586304, सुल्तानपुर - 9839666777, उदयपुर - 9828142452, वाराणसी - 9838128327, विशाखापट्टनम - 9848565786 ।

बीमा आग्रह की विषय-वस्तु है

नोट- किसी भी वैधानिक अथवा अन्य विवाद में अंग्रेजी पैम्फलेट की भाषा ही मान्य होगी।

सहारा इंडिया लाईफ इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालय : सहारा इंडिया सेंटर, 2, कपूरथला कॉम्प्लेक्स, लखनऊ-226 024. फोन : 0522-2337777, फैक्स : 0522-2332683
वेबसाईट : www.saharalife.com

सहारा इंडिया परिवार

Saharalife/36/2010-11/BRO/Hindi

SAHARA INDIA Life Insurance

Chiranjivi Bhava

सहारा कवच

अस्थायी (टर्म) बीमा योजना (लाभ रहित)

UIN-127N009V01

सहारा इंडिया लाईफ इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड